बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–42/2022 - 1585 /पटना, दिनांक–30/3/2022

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड– 37– 3054–04 – 105 – 0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड–37–3054–04–105–0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक अनुमोदन दी जाती हैः–

Sl. No	Name of Division	Block	Project Id	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Chakia	Chakia	31708402027	L059- L028 Sahshi Jagiraha to Imaliya (VR19)	3.01	100.964	25.547	10.096	136.60
2	Chakia	Mehsi	31708202067	Bahadurpur Chowk to PMGSY Road Mithanpura 140 Package Tak	2.85	87.467	28.054	8.746	124.26
3	Bagaha-1	Bagaha-2	3.18901E+11	Pipra To Rampur Balmikinagar Road	4.157	124.06	50.49	1.99	176.55
4	Murhaura	Mashrakh	3.18901E+11	Kharia- Sattarghat Path SH-90 Mashrakh Gopalbari To Baniyapur Via Dani Bazar, Sikti, Mangalhat, Gorhana	5.800	345.291	44.092	34.529	423.91
5	Chakia	Kalyanpur	31708202095	Koilabeiwa to Piprakham	6.795	230.276	67.879	23.027	321.18
6	Hathua	Phulwariya	314711894730	Hathau Bhore RCD Path Se Radhagani	0.800	38.593	11.302	3.859	53.754
7	Narkatiaganj	Chanpatia	31808908054	NH 28 B se Basant tola se jekha Gaw Hote Bettiha	3.000	107.64	30.26	10.76	148.66
8	Narkatiaganj	Chanpatia	31808902184	L053-T06 To lalgarh (VR53)	2.600	92.92	31.6	9.29	133.81

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

9	Narkatiaganj	Chanpatia	31808902130	T03 Kurwa Mathiya to Sanichari Via Chuhari (PMGSY)	6.682	274.61	73.86	27.46	375.93
10	Narkatiaganj	Chanpatia	31808802066	Bettiah Narkatiaganj Road to Rampurva PMGSY	2.090	78.22	23.13	7.82	109.17
11	Siwan-I	Siwan (Sadar)	31406602072	Orama Dakshin Tola se Bin Tola	0.900	34.7	10.318	3.444	48.462
12	Siwan-I	Siwan (Sadar)	31406604021	Siwan Gopalganj NH-85 Se Karnapura	1.200	38.242	14.981	3.796	57.019
13	Siwan-I	Siwan (Sadar)	31406612010	Siwan Kailgarh PMGSY Road Jeen Baba Sthan se Kurmi Hata	1.100	41.179	9.529	4.088	54.796
14	Siwan-I	Pachrukhi	31406612001	Barka Gawa Se Uttar Tola	1.100	48.615	11.379	4.825	64.819
15	Siwan-I	Pachrukhi	31406602106	L056- Babhnauli to Darogahata	0.990	37.556	11.807	3.727	53.09
16	Siwan-I	Pachrukhi	31406602139	L073 Tarwara Se Tarwara Tola	0.550	10.249	6.019	1.017	17.285
17	Siwan-I	Barhariya	31406612006	Madhay Vidyalay Patti Bhalua Se Patti Bhalua Gram Tak	0.925	57.905	5.928	5.747	69.58
18	Siwan-I	Barhariya	31406613004	T04 to Mansa Hata Harijan Tola	0.725	28.48	8.084	3.656	40.22
19	Maharajganj	Daraundha	31406808011	Leelasah Ke Pokhar Se Jalalpur Kamala Chowk	6.00	208.73	73.15	20.87	302.75
20	Maharajganj	Daraundha	31406802025	Maharajganj Daraundha BT Road Se Ramaspur	1.00	42.27	10.662	4.199	57.131
21	Maharajganj	Daraundha	31406813001	Pakwaliya Bhawani More to Balua	2.93	118.89	33.54	11.89	164.32
	Total				55.20	2146.857	581.611	204.836	2933.30

2. कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्त प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करें किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियं पूर्णतः जिम्मेवार होगें।

3. **"बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018"** के तहत MBD आधारित ई–निविदा आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

4. इस योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना अनुमोदन संचिका संख्या– **मु0अ0–4(मु0)–3054–04–42/2022** में दिनांक 23.03.2 को प्राप्त है।

5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधि सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 30.3.2022 को सं संख्या– **मु0अ0–4(मु0)–3054–04–42/2022** में अनुमोदन प्राप्त है।

6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधि से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

30/3/2022

8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।

9. संबंधित योजनाओं Unsatisfactory / Satisfactory but Requires Improvement कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।

10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑनलाइन प्रविश्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–42/2022 के पृ0–12 /टि0 पर दिनांक-29/3/22 ,को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

30/3/2022

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

6